न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 07 / 2024

1. किरण जोशी पत्नी प्रदीप कुमार जाति ब्रहामण निवासी वार्ड न0 09 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. विकास जोशी पुत्र प्रदीप कुमार जाति ब्रहामण निवासी वार्ड 09 मण्डावा जरिये नाबालिग कुदरती वली माता किरण जोशी पत्नी प्रदीप कुमार जाति ब्रहामण निवासी वार्ड न0 09 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

आवेदक

बनाम

1. तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. शाखा प्रबंधन बैक ऑफ बडोदा मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.05.2024

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खसरा नम्बर 269 / 240 रकबा 0.8000 हैक्टर, खं.नं. 83 / 202 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 हैक्टर वाके ग्राम ढ़ाणी जोशियान, पटवार हल्का तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में अवस्थित है जिसके आवेदकगण खातेदार काश्तकार है।दिनांक 28.12.2023 को श्रीमान् तहसीलदार मण्डावा के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 28 दिनांक 27.12.2023 की पालना में भूमि खसरा नम्बर 83 / 202 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान करवाया था। आवेदकगण ने तहसीलदार मण्डावा के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 28 दिनांक 27.12.2023 की पालना में भूमि खसरा नम्बर 83 / 202 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान होने के उपरान्त तहसीलदार मण्डावा के यहां पुख्ता चिन्ह कायम करने के लिए पत्थरगढ़ी करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार मण्डावा ने सक्षम न्यायालय के आदेश लाने पर ही पत्थरगढ़ी करने की बात कही इसलिए यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। र्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की हाल खसरा नम्बर 269 / 240 रकबा 0.8000 हैक्टर, खं.नं. 83 / 202 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 हैक्टर वाके ग्राम ढ़ाणी जोशियान, पटवार हल्का तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। खसरा नम्बर 83 / 202 रकबा 0.1200 हैक्टर भूमि के सीमा निर्धारित किये जाने का आदेश दिया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करवाये जाने का आदेश दिया जावें तथा आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को आदेशित निर्देशित किया जावे। खर्चा आवेदकगण वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संवंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 02 बाद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया। तमाम साक्ष्य सबूतों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दौराने बहस पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अनुरोध पर ग्राम मोडसरा का बास पटवार हल्का मण्डावा में ख.न. 269/240 तादादी 0.80 हैक्टर ,ख.न. 83/202 रकबा 0.12 हैक्टर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.92 हैक्टर में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 28.12.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी फसलकाश्त होने के पश्चात के आदेश दिये जाते है। तदनुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा